Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JAN-FEB, 2019, VOL- 6/49

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 काविश्लेषणात्मक अध्ययन

मो0 फैसल ईसा*
विधु शेखर पाण्डेय**

शोध सारांश

सूचना और संचार क्रांति के इस दौर में शिक्षा का बहुत महत्व है। किसी भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद् 21ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अगस्त, 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया।यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। आर0टी0ई0 एक क्रियाशीलता का हिस्सा है न कि कोई जादू की छड़ी है, जो निश्चित रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली चुनौतियों को समाप्त कर देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने स्कूलों में कुछ विशेष रूप से मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और जिसके फलस्वरूप सुविधाहीन स्कूली प्रणाली की कुछ हद तक प्रतिष्ठा बहाल हुई हैं।

कुंजी शब्दः स्कूल,शिक्षा, अधिकार।

भूमिका :

शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है।

शिक्षा सभी प्रकार के मानव विकास व प्रगति का आधार होती है। यह समस्त मानव समस्याओं के प्रति सर्वाधिक पैना हथियार तथा सबसे मजबूत ढाल होती है। शिक्षा के आभाव में मानव जीवन अर्थहीन हो जाता है। शिक्षा के माध्यम से हम उस ज्ञान तथा उन कौशलों को ग्रहण करते है, जिनसे हम एक सार्थक जीवन व्यतीत करने योग्य बनते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी होती है। बेकन के अनुसार– ज्ञान ही शक्ति है, अर्थात ज्ञान ही मनुष्य को, समाज को और देश को शक्ति सम्पन्न बनाता है। शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य के अन्दर छुपी हुई अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उसका उपयोग समाज एवं देश की भलाई में करते हैं। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनने के पथ पर अग्रसर करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की आंतरिक और वाह्य शक्तियों का विकास होता है।

जी.एच. थॉमसके अनुसार– शिक्षा के कारण ही मानव आज सभ्यता के इस ऊँचे शिखर पर पहुँच गया है। शिक्षा ही मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और निर्देशित करती है।

शिक्षा स्वयं साध्य न होकर व्यक्ति निर्माण का साघन है और व्यक्ति से समाज बनता है। इस प्रकार शिक्षा समाज निर्माण का साधन बन जाती है। शिक्षा ही अज्ञानता से मुक्ति दिला कर समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में अहम् भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षा से ही वह यह जान पाता है कि उसके अधिकार व स्तन्त्रताओं का क्या रूप है? राज्य व समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं? अधिकारों के हनन को कैसे रोका जा सकता है ? निःसंदेह शिक्षा से व्यक्ति में सकारात्मक, तर्किक, व गुणात्मक सुधार आता है। वस्तुतः शिक्षा से ही एक अच्छे नागरिक निर्माण में सहायता मिलती है, इसलिए एक अच्छे समाज निमार्ण के लिए यह आवश्यक है कि तद्नुरूप वांछित शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया जाये, क्योंकि शिक्षा समाज परिवर्तन का सशक्त साधन भी है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई. एक्ट, 2009) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

26 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद ने शिक्षा के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया जिसे "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से सर्वाधिक प्रतिक्षित कदम था। सर्वप्रथम गोपालकृष्ण गोखले ने 19 मार्च, 1910 को केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था। सोलह मार्च 1911 में गोखले ने इस प्रस्ताव को केन्द्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में पेश किया, परन्तु यह विधेयक पास नहीं हो सका। 1937 में महात्मा गाँधी ने डॉ0 जाकिर हुसैन के साथ मिलकर नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। वर्तमान में इसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और बेसिक एजूकेशन आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत 7–14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी थी। 1966 में कोठारी आयोग ने बच्चों के लिए समान शिक्षा की सिफारिश की। 1986 की नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को सभी को

---

*शोध छात्र,(जे0आर0एफ0), शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, मो0 : 9919796693, ईमेलः faisalisa0786@gmail.com

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

**शोध छात्र,(जे0आर0एफ0), शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, मो0 : 9696644662, ईमेलः vvv.net007@gmail.com

आसानी से प्राप्त होने के लिए एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलनें की बात कही गयी।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षाका अधिकार अधिनियम 2009 की पृष्ठभूमि में कहा गया है कि–"संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद् 21ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।"

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषतायेंः

- भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा।
- कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित।
- प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश।
- जम्मू कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू।
- वित्तीय बोझ राज्य सरकास तथा केन्द्र सरकार के बीच 55:45 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्यः

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के दायित्व की पूर्ति करना।
- संविधान के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना।
- शिक्षा एवं विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाना।
- शिक्षकों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करना।
- बालकों का संरक्षण एवं बाल श्रम को रोकना।
- विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश में नौकरशाही प्रवृत्ति को समाप्त करना।
- शिक्षा में स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना।
- परिक्षाओं के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत प्रावधान –

- 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक उसके निकट के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
- प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- यदि किसी बच्चे को, राज्य के अन्दर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण का अधिकार होगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना न देना।
- सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।
- इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी नया स्कूल बिना सरकार की अनुमति और प्रमाण पत्र के नहीं खोला जायेगा।
- शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 1:30 होगा।
- संविधान में दिये गये मूल्यों के अनुसार पाठ्यक्रम का निमार्ण किया जाऐगा।
- प्रशिक्षित अध्यापक ही विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करेंगे और अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- शिक्षकों को जनगणना, प्राकृतिक आपदा तथा चुनाव कार्य के सिवाय किसी भी प्रकार की ड्यूटी का कार्य नहीं दिया जायेगा।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

➢ बच्चों पर किसी भी प्रकार की उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण वाली परीक्षा लागू नहीं की जायेगी।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन का विश्लेषण :

एक गैर सरकारी संस्था प्रथम द्वारा 17 राज्यों के करीब ढाई हजार स्कूलों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 90 प्रतिशत स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों पर खरे नहीं उतरते है। केवल 45 प्रतिशत स्कूल ही प्रति 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होने का अनुपात करते हैं। डाइस रिपोर्ट 2013–14 के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून के मापदण्डों को पूरा करने के लिए 12 से 14 लाख शिक्षकों की जरूरत है। आर0टी0ई0 फोरम की रिर्पोट के अनुसार बिहार में 51.51, छत्तीसगढ़ में 29.98, असम में 11.43, हिमाचल में 9.01, उत्तर प्रदेश में 27.99, पश्चिम बंगााल में 40.50 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षत नहीं हैं। 35 प्रतिशत स्कुलों में छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय की सुविधा नहीं हैं। 22 फीसदी विद्यालयों में पानी उपलब्ध नहीं है।

असर 2014 (एनुअल स्टेट्स ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट) के अनुसार भारत में निजी स्कूल जाने वालों बच्चों का प्रतिशत 51.7 प्रतिशत हो गया है, 2010 में यह 39.3 प्रतिशत था। सरकारी विद्यालयों पर साधारण लोगों का विश्वास बहुत कम है, इसलिये इस वर्ग के लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों मे पढ़ने के लिए नहीं भेजते। सरकारी विद्यालयों वे ही बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिन्हे किसी भी अच्छे प्राईवेट स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता। भारत के संविधान के अनुसार सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था है। परन्तु सरकारी विद्यालयों में सबसे वंचित वर्गो के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। सुविधा सम्पन्न वर्ग की जनता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ने नहीं भेजते।

गैर सरकारी संस्था असर 2014 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 में कक्षा 3 के 5.3 प्रतिशत बच्चे कुछ भी पाठ नहीं पढ़ सकते थे, वहीं 2014 में यह अनुपात और बढ़ कर 14.9 प्रतिशत हो गया है। 2009 में कक्षा 5 के 1.8 प्रतिशत बच्चे कुछ भी पाठ नहीं पढ़ सकते थे, 2014 में यह अनुपात बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्यव्यन में चुनौतियाँ :

- शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या भाषा है। जिन छात्रों की मातृभाषा हिन्दी छोड़कर अन्य भाषा होती है उन्हें हिन्दी में लिखी हुई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने या समझने में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनको अन्य भाषा में दक्ष होने में लगभग आठ साल लग जाते हैं।
- सरकारी स्कूलों में साधारण, लकिन आश्यक शौचालय जैसी सुविधाएं अभी भी अनुपस्थित हैं। सर्वेक्षणों से पता चलाा है कि केवल 49 प्रतिशत स्कूलों में ही लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण किशोर लड़कियाँ सरकारी स्कूली शिक्षा का त्याग कर रही हैं।
- केवल 43 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जो परिस्थितियों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यन्त प्रतिकूल बनाती हैं।
- अधिनियम के दिशा निर्देश के सम्बन्ध में अधिकांश माता–पिता को ठीक तरह जानकारी न होने के कारण वे अपने बच्चों के लिये अधिकारों की मांग नहीं कर पाते।
- देश के अनेक विद्यालय मानते हैं कि आर0टी0ई0 के अन्तर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के परिणाम का स्तर गिर जाएगा, अतः वे इन बच्चों के प्रवेश को हतात्साहित करते हैं।
- सरकार विद्यालयों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती अतः विद्यालय प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगों, अनाथों, भिखारियों आदि के बच्चों के लिये पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

आर0 टी0 ई0–2009 को सफल बनाने के लिए सुझावः

सरकार कोशिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के समस्त प्रावधानों के क्रियान्वयन को निम्नलिखित सुझाव द्वारा सफल बनाया जा सकता–

➢ शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 को सफल बनाने के लिये जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया, प्रसिद्ध व्यक्तियों, स्थानीय नेताओं, सिविल सोसायटी आदि को शामिल करना चाहिये।

➢ विद्यालयों की समुचित निगरानी करनी चाहिये एवं समय–समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट लेनी चाहिये।

➢ विद्यालयों को रियल टाइम आधार पर निगरानी के लिये ऑनलाइन प्रबन्धन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिये।

➢ अध्ययन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सतत् और व्यापक मूल्यांकन को महत्व देना चाहिय।

➢ अध्यापन की गुणवत्ता सुधार के लिये शिक्षण–प्रशिक्षण व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिये।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- 25 प्रतिशत आरक्षण का पालन न करने के मामले में कड़े दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लेना पूरी तरह से बन्द कर दिया जाना चाहिये।
- शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षण समाप्त करके शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये।
- शिक्षा में सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त कर देना चाहिये।
- सभी विद्यालयों में फीस की राशि एक समान होनी चाहिये। अगर कोई विद्यालय ज्यादा फीस ले तो उसको कठोर दण्ड दिया जाये।
- जो अभिभावक 6–14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते और उनसे बाल श्रम करवाते हैं, उन्हें कठोर दण्ड देने का प्रावधान होना चाहिये।

निष्कर्षः

आर0टी0ई0 के आदेश के फलस्वरूप प्रशिक्षित शिक्षक, बुनियादी सुविधाओं और एक बेहतर शैक्षणिक आधारभूत संरचना ने शिक्षा को काफी प्रेरित किया है।शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अब हर 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस कानून द्वारा अब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रहीं है। स्कूल विकास एवं निगरानी समिति (एसडीएमसी) अब एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है और यह बाल शिक्षा के बारे में माता–पिता के विचारों पर गंभीरता से विचार कर रही है। कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जहाँ गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए अलग से कक्षाएँ बना दी गई हैं। इस अधिनियम द्वारा विद्यालयों कोअब किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस न लेने की अनिवार्यता है एवं विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार के भेद–भाव करने पर रोक है। विद्यालयों एवं अध्यापकों द्वारा किसी भी प्रकार के दण्ड या मानसिक प्रताड़ना न देने के प्रावधान के फलस्वरूप विद्यार्थियों में विद्यालय जाने और अध्ययन में रूचि बढ़ेगी। यह कानून सार्वभौमिक शिक्षा के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु इसके कियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं, जिनका उल्लेख ऊपर वर्णित है। इन चुनौतियों को अगर सरकार द्वारा दूर कर दिया जायेगा तो निश्चित ही भारत में शत–प्रतिशत साक्षरता होगी जो कि, 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल, जे0सी0.(2010), राईट टू एजूकेशन एण्ड रिबाइटलाइजिंग एजूकेशन, नई दिल्लीः शिक्षा पब्लिकेशन्स।
- दास, ए0.(2010), राईट टू एजूकेशन, नई दिल्लीः ऐक्सिस पब्लिकेशन्स।
- गुप्ता, एस0पी एवं अलका.(2009), भारतीय शिक्षा की इतिहास, विकास एवं समस्याऐं, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
- मिश्रा, एस0के0.(2014), भौतिक एवं शैक्षिक सुविधाओं के सन्दर्भ में शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के कियान्वयन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, डॉक्टरोल डिजर्टेशन, वनस्थली विद्यापीठ, retriew fromhttp://hdl.handle.net/10603/165950 on 14-02-2019.
- सिंह, ए0, के0. (2009), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्लीः मोतीलाल, बनारसीदास।
- शर्मा, के0 (2012), शिक्षा के अधिकार कानून का आकलन, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका (अंक 11),सितम्बर 2012, पृ0सं0 08–11।
- श्रीवास्तव, ए0आर0एन0.(2002), भारतीय सामाजिक समस्याये, इलाहाबादः के0के0 प्रकाशन, एकेडमी प्रेस।
- https://www.scotbuzz.org/2018/05/shiksha-ka-adhikar.html, retriew on 14-02-2019.
- https://hindi.mapsofindia.com/my-india/government/the-right-to-education-act-how-far-is-it-feasible-in-imparting-education, retriew on 14-02-2019.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies